

कार्यवृत्त
शुक्रवार, 22 फाल्गुन, शक संवत्, 1936
(दिनांक 13 मार्च, 2015 ई0)

खण्ड-42
अंक-3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही भाजपा के कुछ सदस्य प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को लेकर नियम-310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात जोर-जोर से कहने लगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम-310 भी सूचना का संज्ञान वे प्रश्न काल के बाद ले लेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें इस पर मा0 सदस्यों ने अपना-अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गये उत्तर दिए गये।

तारांकित प्रश्न 1 के उत्तर से सन्तुष्ट न होने पर भाजपा के सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया।

नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-25 -असरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय नियतन के संगत नियम 25 (2) में स्पष्ट है कि असरकारी सदस्यों के कार्य के लिए किसी सप्ताह में कोई अन्य दिन नियत कर सकेंगे, जो निर्धारित नहीं किया गया है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस सम्बन्ध में सूचना आपको दे दी जाएगी।

कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-20 (3) में स्पष्ट है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय नियत करेंगे जो चार 4 दिन का होगा, जब कि कार्य-मंत्रणा में उसका उल्लेख नहीं है।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2015 तक का कार्य निर्धारित किया है, आगामी बैठक में चर्चा हेतु दिवस निर्धारित कर लिये जायेंगे।

आज नियम-300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयीं:-

1. श्रीमती विजय बड़थवाल जनपद पौड़ी गढ़वाल के ऋषिकेश के कैलाश गेट व स्वर्गाश्रम के मध्य गंगा नदी पर एक हल्का वाहन पुल के निर्माण के संबंध में।
2. श्री चन्दन राम दास प्रदेश के लगभग 3600 शिक्षा मित्रों को डी0एल0एट0 करने की अनुमति देने तथा तत्पश्चात् मौलिक नियुक्ति की मांग के संबंध में।
3. श्री दान सिंह भण्डारी जनपद नैनीताल के ओखलकांडा अन्तर्गत झड़गांव नदी पर दैवीय आपदा में ध्वस्त पुल के निर्माण न होने से व्याप्त असंतोष के संबंध में।
4. श्री हरबंस कपूर (पढ़ी हुई मानी गई) नगरीय क्षेत्र में मलिन बस्तियों में अधिकांश मकानों के ऊपर से विद्युत लाईनें जाने के कारण दुर्घटनाएं होने के संबंध में।

5. श्री यतीश्वरानन्द विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के गांव अजीतपुर में वर्षा के कारण कटे प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर बालदवारी की जमीन की सुरक्षा किये जाने के संबंध में।
6. श्रीमती अमृता रावत राज्य के चिकित्सालयों में चिकित्सकों/विशेषज्ञों/फार्मासिस्टों एवं अन्य तकनीकी कार्मिकों के पद रिक्त होने के कारण प्रभावित हो रही चिकित्सा सेवाओं के संबंध में।
7. श्री ललित फर्स्वाण विधान सभा कपकोट के अन्तर्गत रिखाड़ी-बाछम मोटर मार्ग/मुनार बैण्ड-सूपी में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत होने वाले डामरीकरण कार्य में अत्यधिक विलम्ब होने के संबंध में।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 के अन्तर्गत 03 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री मदन कौशिक, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री यतीश्वरानन्द, श्री चन्दन राम दास, श्री चन्द्रशेखर श्री दलीप सिंह रावत, श्रीमती विजय बड़थवाल, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर एवं श्री अरविन्द पाण्डे की है जो प्रदेश में हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री विशन सिंह चुफाल की है जो जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड कनालीछीना में सड़कों की मांग को लेकर, हरिद्वार में दो सगे भाई के मृत्यु के बाद मुआवजा हेतु एवं जनपद चम्पावत में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी को लेकर धरने में बैठे लोगों पर मुकदमा दर्ज होने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री राजेश शुक्ला की है जो दलित महिला के साथ बलात्कार कर नृशंस हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि वे प्राप्त तीन सूचनाओं में से पहली और तीसरी सूचना को नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

नियम-310 के अन्तर्गत श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य विधान सभा की सूचना का संज्ञान न लेने पर मा0 सदस्य विपक्ष के अन्य सदस्यों सहित चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर 'वेल' में आ गये। जिस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे सूचना को अगले उपवेशन की तिथि को पुनः दिये जाने पर उसका संज्ञान ले लेंगे। तत्पश्चात 'वेल' पर खड़े सारे सदस्यों ने अपना-अपना स्थान ग्रहण किया।

पंचायती राज मंत्री ने उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2015 को सदन के पटल पर रखा।

सहकारिता मंत्री ने उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2015 को सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि :-

- (1) भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 09 सितम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का चौबीसवां अधिनियम बन गया।
- (2) उत्तराखण्ड विनियोग (2014-2015 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

- (3) उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।
- (4) उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का सत्ताइसवां अधिनियम बन गया।
- (5) उत्तराखण्ड लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का अट्ठाइसवां अधिनियम बन गया।
- (6) उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का पहला अधिनियम बन गया।
- (7) उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का दूसरा अधिनियम बन गया।
- (8) उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का तीसरा अधिनियम बन गया।
- (9) उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 जनवरी, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का चौथा अधिनियम बन गया।
- (10) मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 जनवरी, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का पांचवां अधिनियम बन गया।
- (11) उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 जनवरी, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का छठा अधिनियम बन गया।

श्री चन्द्र शेखर, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के ग्राम पंचायत मीरपुर मुवाजरपुर विकास खण्ड बहादुराबाद की क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में" श्री राजेन्द्र चौहान, निवासी ग्राम मीरपुर, पो0 गढमीरपुर, विकास खण्ड बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम के वार्ड 57 गोविन्दगढ़ क्षेत्र से गुजर रही बिन्दाल नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री मेहर सिंह, 66 आजाद कालोनी गोविन्दगढ़, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम के वार्ड 57 गोविन्दगढ़ क्षेत्र से गुजर रही हाईटेंशन लाईन को अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में" श्री मेहर सिंह 66 आजाद कालोनी गोविन्दगढ़, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्राम सभा नौसर के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री अनिल निवासी ग्राम सभा नौसर, पो0 खटीमा, विकास खण्ड खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा के ऊंची बगुलिया खालीमहुवट, अमाऊ, खटीमा की विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती कुसुम देवी, निवासी ग्राम सभा ऊंची बगुलिया, पो0 खालीमहुवट, विकास खण्ड खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा के ग्राम गांगी, बिरिया मझोला की लो बोल्टेज की समस्या के समाधान किये जाने के सम्बन्ध में" श्री नवीन सिंह कन्याल, निवासी ग्राम सभा गांगी, पो0 बिरिया मझोला, विकास खण्ड खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा के ग्राम दिया, बिरिया, मझौला में एक 63 के0वी0 विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में" श्री नवीन सिंह कन्याल, निवासी ग्राम सभा गांगी, पो0 बिरिया मझोला, विकास खण्ड खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के वार्ड न0 6 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती नूरजहां निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़ वार्ड न0 6 व पो0 अम्बाड़ी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड न0-5 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री रियासत अली निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड न0-5 व पो0 अम्बाड़ी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड न0-4 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री मुस्तका निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड न0-4 व पो0 अम्बाड़ी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड न0-3 में पक्के शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में" श्री युनुस निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड न0-3 व पो0 अम्बाड़ी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा ने अवगत कराया कि दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को लाल तप्पड़, बिड़ला सोल्यूशन लि० कम्पनी ने 307 कार्मिको को निकाल दिया गया था जबकि उनको वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। मा० मंत्री जी ने उक्त विषय में इस पर एक माह में कार्यवाही हो जाने का आश्वासन दिया था जबकि साढ़े 3 माह बीत जाने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिससे विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वे इस विषय में मा० मुख्य मंत्री से मिलकर तत्काल कार्यवाही करेगी।

विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन सुवाघोल के लोकार्पण में क्षेत्रीय विधायक की, की गई अवमानना संबंधी सुरेन्द्र सिंह जीना, मा० सदस्य विधान सभा के नियम- 65 की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि इसका परीक्षण कराकर अपनी व्यवस्था दे देंगे।

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने उत्तराखण्ड खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने उत्तराखण्ड खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित किया।

पशुपालन मंत्री ने उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

पशुपालन मंत्री ने उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित किया।

पंचायती राज मंत्री ने उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

पंचायती राज मंत्री ने उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

प्रदेश में हो रहे अवैध खनन विषयक नियम-310 की सूचना की ग्राह्यता के संबंध में श्री अजय भट्ट, श्री मदन कौशिक, श्री यतीश्वरानन्द, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना तथा संजय गुप्ता ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। नेता सदन को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 02 बजकर 04 मिनट पर 03:30 बजे तक भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दी।

03:30 बजे मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का समय 3:45 बजे तक बढ़ा दिया है।

भोजनावकाश के पश्चात् सदन की कार्यवाही 03:45 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

किच्छा अन्तर्गत ग्राम कोठा नारायणपुर की कल रात्रि में दलित महिला के बलात्कार के बाद हत्या कर दिये जाने विषयक नियम-310 की सूचना की ग्राह्यता पर श्री राजेश शुक्ला ने अपने विचार व्यक्त किये। गृह मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश के गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान न किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री मदन कौशिक ने अपने विचार व्यक्त किये। गन्ना मंत्री व नेता सदन को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश के पर्वतीय जिलों में शिक्षा के गिरते स्तर विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, नेता प्रतिपक्ष, चन्दन राम दास तथा पूरन सिंह फर्त्याल ने अपने विचार व्यक्त किये। शिक्षा मंत्री को सुनने के उपरान्त असन्तुष्ट होकर मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने सदन का वर्हिगमन किया श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश के विभिन्न नगरों व जनपदों में नजूल व कृषि भूमि पर कब्जाधारक को उसके स्वामित्व का फ्री-होल्ड पट्टा प्रदान किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री राजकुमार टुकराल ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 मंत्री तथा नेता सदन को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद हरिद्वार में भारी वर्षा व ओलावृष्टि से गेहूँ की फसल को हुए नुकसान विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री हरबंस कपूर ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 आपदा मंत्री जी को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में वन्यजीवों के आतंक से किसानों के उत्पादक के नुकसान से चौपट हो रहे रोजगार विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री चन्दन राम दास ने अपने विचार व्यक्त किये। वन मंत्री एवं कृषि मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

श्री नवप्रभात, सदस्य विधान सभा ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

“यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2015 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।” पर अपने विचार व्यक्त किये।

श्री ललित फर्स्वाण ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपने विचार व्यक्त किये।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष ने संशोधन के लिए अपने विचार व्यक्त किये।

निम्नांकित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए :-

श्री अजय भट्ट

श्री मदन कौशिक (श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि सदन का समय 09:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है)

श्री बंशीधर भगत

श्री हरबंस कपूर

श्रीमती विजय बड़थवाल

श्री तीरथ सिंह रावत

डा0 जीत राम

श्री चन्दन राम दास

श्री विक्रम सिंह नेगी

श्री अध्यक्ष द्वारा नेता सदन का नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्यों ने इस पर विरोध प्रकट किया कि उन्हें भी संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया जाए। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि समय सीमा समाप्त होने से पूर्व मा0 नेता सदन भी अपना पक्ष रखेंगे जबकि समय निर्धारित है। इस पर भाजपा के सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया। (श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि सदन का समय 09:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है)

नेता सदन के उत्तर भाषण से असन्तुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष ने सदन का त्याग किया तथा नेता प्रतिपक्ष व सदस्यों द्वारा दिए गए संशोधन जो उपस्थित किए हुए माने गये थे, अस्वीकृत हुए तथा श्री नवप्रभात द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद का प्रस्ताव मूलरूप में स्वीकृत हुआ।

आज नियम-53 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से -

“विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत ग्राम भोगपुर से बालावाली तक गंगा नदी पर बने बांध की मरम्मत के सम्बन्ध में” श्री संजय गुप्ता की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया तथा,

“पी0एच0डी0 धारकों को नेट की अनिवार्यता करने के फलस्वरूप नौकरी से वंचित रह जाने के कारण व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में” श्री पुष्कर सिंह धामी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही 09 बजकर 23 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

(जगदीश चन्द्र)
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

(गोविन्द सिंह कुंजवाल)
अध्यक्ष,
विधान सभा।